

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

क्रमांक / राजस्व / प्रा.पत्र / 13 / 2024 / 25.11.2024 / 8920

दिनांक :- 25 / 11 / 2024

श्रीमान निबन्धक महोदय,  
राजस्व मण्डल, राजस्थान  
अजमेर

विषय:-मिसल संख्या 13/2024 अनवान चावली आदि बनाम हेतराम व  
अन्य अन्तर्गत धारा 251-क आरटीए निर्णय दिनांक 04.11.2024  
(प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी निरस्त करने के विरुद्ध)  
भिजवाने हेतु।

प्रसंग:-आपका पत्रांक / टीए / निग / 2024 / 8262 / गंगा / 17 / 01 /  
2025 / 2578 दिनांक 19.11.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा चाही  
गई पत्रावली संख्या 13/2024 अनवान चावली आदि बनाम हेतराम व अन्य अन्तर्गत धारा  
251-क आरटीए निर्णय दिनांक 04.11.2024 (प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी निरस्त  
करने के विरुद्ध) कुल पृष्ठ संख्या- 44 इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही  
हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-एक पत्रावली।

भगदीय



(सन्दीप कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज0)



राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दस्तावेज

क्रमांक: टीए/निग/2024/8262/गंगानगर/17/01/2025

दिनांक: 19/11/2024

प्रेषित:

1 उपखंड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला - गंगानगर

2578

हेतराम

री 35

बनाम

चावली

25/11/2024

19 NOV 2024



विषय :- निगरानी/अपील विरुद्ध निर्णय- उपखंड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला - गंगानगर

निर्णय दिनांक-04/11/2024 वाद संख्या-2024/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विचाराधीन वाद मे आपके न्यायालय की निम्नलिखित पत्रावलियां मण्डल में नियत दिनांक 17/01/2025 से पूर्व भिजवाने कि व्यवस्था करें:-

क्र.सं.	पत्रावली संख्या अधीनस्थ न्यायालय	उनवान	निर्णय दिनांक
1	2024/13 उपखंड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला - गंगानगर	चावली / हेतराम	04/11/2024

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर